



प्रेस नोट- थाना कोतवाली



जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक 28.09.2026

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दहेज प्रताड़ना एवं आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.08.2026 को वादी मुकदमा श्री छत्रपाल सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी लाल तप्पड़, थाना डोईवाला, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण शिवम राठौर (पति), कमलेश राठौर (ससुर), राजकुमारी उर्फ अन्नू (सास) एवं सागर राठौर (देवर), निवासीगण मोहल्ला हुसैनपुरा, निकट हनुमतधाम, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की पुत्री सलोनी से अतिरिक्त दहेज में प्लाट की मांग की जाती थी। मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर अभियुक्तगण द्वारा सलोनी को आए दिन ताने देने तथा खाने-पीने, कपड़े एवं दवाई आदि के लिए परेशान करने के साथ ही छोटी-छोटी बातों पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा आत्महत्या के लिए उकसाया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 18.08.2026 को सलोनी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 283/2026, धारा 85/108 बीएनएस एवं 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री संजीव कुमार के सुपुर्द की गई। आज दिनांक 28.09.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सागर राठौर पुत्र कमलेश राठौर, निवासी मोहल्ला हुसैनपुरा, निकट हनुमतधाम, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर, हाल निवासी कच्चा कटरा, साईं मंदिर के पास, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 23 वर्ष सीएमओ कार्यालय तिराहा, चौकी बेरी के पास खड़ा है तथा कहीं जाने हेतु वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को पकड़ लिया गया। नाम-पता तस्दीक एवं जामा तलाशी के उपरान्त अभियुक्त को उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग एवं गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराते हुए समय 11:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 283/2026 धारा 85/108 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

सागर राठौर पुत्र कमलेश राठौर नि0मो0 हुसैनपुरा निकट हनुमत धाम थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर हाल निवासी कच्चा कटरा साईं मंदिर के पास थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

सी0एम0ओ0 कार्यालय तिराहे निकट चौकी बेरी से कुछ दूरी पर तिराहे के पास थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
दिनांक 28.09.2026 समय करीब 11.30 बजे ।

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 283/2026 धारा 85/108 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
2. मु0अ0सं0 468/2025 धारा 115(2)/351(3)/352/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. व0उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
2. रि0का0 दीपक थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।